



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-205 राँची, शुक्रवार, 28 फाल्गुन, 1942 (श०)
19 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

12 मार्च, 2021

संख्या--5/आरोप-1-32/2015-2390 (HRMS)-- श्री संतोष कुमार गर्ग, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-683, दिनांक 10.04.2015 के माध्यम से उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ के पत्रांक-11/मनरेगा, दिनांक 03.01.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री गर्ग के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. दूरस्थ क्षेत्रीय कर्मचारी को अभिकर्त्ता बनाया गया।
2. अभिलेख की कार्रवाई का निरीक्षण नहीं किया जाना एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-127 का पालन नहीं किया गया।
3. जाँच दल को गुमराह किया गया।
4. मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करना।
5. अभिलेख संधारण में गड़बड़ियाँ करना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6329, दिनांक 16.07.2015 द्वारा श्री गर्ग से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री गर्ग के पत्रांक-90/गो0, दिनांक 27.08.2016

द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री गर्ग के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9580, दिनांक 11.11.2016 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-684/मनरेगा, दिनांक 17.11.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री गर्ग के स्पष्टीकरण को अमान्य, तथ्यविहीन एवं असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पाकुड़ से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-977, दिनांक 31.01.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-102, दिनांक 24.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-1, 2 एवं 3 को सही नहीं प्रतीत होता है, उल्लेख किया गया तथा आरोप सं0-4 एवं 5 को आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया।

श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा में पाया गया कि- (i) आरोपी पदाधिकारी पर गठित आरोप संख्या-1 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि श्री जाकिर हुसैन, पंचायत सचिव-सह-विभागीय अभिकर्त्ता योजना स्थल ग्राम पंचायत महूलपहाड़ी के नहीं, अपितु तेतुलिया पंचायत के पंचायत सचिव थे। इसके अतिरिक्त स्वीकृत योजना स्थल से हटकर अन्य स्थल पर कार्य करवाने के लिए सिर्फ पंचायत सचिव ही नहीं बल्कि मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भी समान जिम्मेवार प्रतीत होते हैं।

(ii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा दोनों योजनाओं में प्रथम अग्रिम राशि की स्वीकृति के विरुद्ध कार्य की मापी कराये बगैर ही द्वितीय अग्रिम की राशि स्वीकृत की गई है, जो मनरेगा के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा मनरेगा के प्रावधानों एवं उपायुक्त के ज्ञापांक-146/ नरेगा, दिनांक 27.06.2009 द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश में मजदूरी का भुगतान बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से करवाने संबंधी निदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवाया गया, इसके लिए वे दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-5660(hrms), दिनांक 05.06.2020 द्वारा श्री गर्ग के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री गर्ग द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक-2100396, दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री गर्ग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

(i) दूरस्थ क्षेत्रीय कर्मचारी को अभिकर्ता बनाये जाने के आरोप से संचालन पदाधिकारी ने उन्हें आरोप मुक्त किया है। उक्त आरोप उनपर इसलिए लगा कि विभागीय अभिकर्ता ने कथित तौर पर बताया कि उसे क्षेत्र का ज्ञान नहीं था। अतः सड़क निर्माण की उक्त योजना गलत जगह प्रारंभ हो गई। इस संबंध में उनका कहना है कि उक्त अभिकर्ता पूर्व से ही उक्त पंचायत में कम-से-कम तीन योजनाएं कर रहे थे।

(ii) उनपर लगाया गया तीसरा आरोप यथा- बैंक खाता के माध्यम से भुगतान नहीं कराना भी उचित नहीं है। उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार योजना का संचालन विभागीय अभिकर्ता के माध्यम से किया जा रहा था। एकरारनामा के अनुसार योजना के सभी प्रावधानों का अनुपालन विभागीय अभिकर्ता को सुनिश्चित करना था। योजना के संचालन हेतु अभिकर्ता श्री जाकिर हुसैन को ससमय उनके द्वारा नियमानुसार भुगतान हेतु चेक दिया गया था, परंतु उनके द्वारा स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन करते हुए कथित तौर पर खाता से भुगतान नहीं किया गया। मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण कनीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाना था, परंतु किसी के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक समीक्षा में ऐसा मामला प्रकाश में नहीं लाया गया, तथापि जैसे ही योजना में गड़बड़ी का पता चला इनके द्वारा प्रक्रियानुसार योजना रद्द करके राज्य हित में कार्य करते हुए उक्त राशि वसूल करके जमा करा दी गई।

श्री गर्ग द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्री गर्ग का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि स्वीकृत योजना स्थल से हटकर अन्य स्थल पर कार्य करवाने के लिए सिर्फ पंचायत सचिव-सह-विभागीय अभिकर्ता ही दोषी नहीं हैं, बल्कि मनरेगा अंतर्गत प्रखंड के मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते श्री गर्ग भी समान रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं।

(ii) श्री गर्ग का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जिला ग्रामीण अभिकरण, पाकुड़ के योजना स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-146, दिनांक 27.06.2009 में योजना कार्यान्वयन शर्त की कंडिका-10 के अनुसार मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से किये जाने का निदेश था एवं योजना कार्यान्वयन की शर्तों के अनुरूप कार्य करवाने की जिम्मेवारी श्री गर्ग की थी। श्री गर्ग द्वारा मजदूरी की राशि विभागीय अभिकर्ता को देने के स्थान पर मास्टर रौल के अनुसार सीधे संबंधित मजदूरों के बैंक खाता/डाकघर बचत खाता में एडभाईस के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

अतः समीक्षोपरांत, श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया, पाकुड़ द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध

झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANTOSH KUMAR GARG 20060400014	श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया, पाकुड़ द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संतोष कुमार गर्ग, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3282
